



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

G20

संख्या:- 93 / 12-1 देहरादून: दिनांक 11 जुलाई, 2024
सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25-सुभाश रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद-टिहरी गढ़वाल में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-605/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड़ का डबल लेन में निर्माण कार्य हेतु 4.69 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online No.-FP/UK/ROAD/144340/2021)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, एकीकृत कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/39/2022/एफ.सी./207, दिनांक-14.05.2024.

महोदय,

विशयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 14.05.2024 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती के पत्रांक 97/12-1 दिनांक 08.07.2024 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क० सं०	आपत्ति	निराकरण/प्रतिउत्तर
1	यह देखा गया है कि पहले से ही एक निर्मित सड़क है जो प्रस्तावित सड़क समरेखण के समानान्तर जा रही है। डी०एफ०ओ० महोदय से अनुरोध है कि वे इस दृष्टि से कार्यस्थल का दौरा करें और विस्तृत कार्यस्थल निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करें।	बिन्दु संख्या-01 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भाग-01 के क०सं० 4.1 में त्रुटिवश पूर्वनिर्मित मोटर मार्ग के सामानान्तर प्रदर्शित होती हुई प्रस्तावित मोटर मार्ग संरेखण वाली क०एम०एल० त्रुटिवश ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड हो गयी थी, जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा वर्तमान में संशोधित कर दिया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्रांक सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/39/2022/एफ०सी०/207 दिनांक 14.05.2024 से जारी निर्देशों के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 16.05.2024 को प्रस्तावक विभाग के साथ किया गया ,जिसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-01)
2	चूँकि यह देखा गया है कि आसपास के क्षेत्र में एक मौजूदा एन०एच. है, इसलिये सड़क का विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक है।	बिन्दु संख्या-02 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 को आपस में जोड़ती है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 में यात्रा सीजन के दौरान ऋषिकेश, हरिद्वार में होने वाले ट्रैफिक/जाम को नियंत्रण/डायवर्ट किया जा सकता है तथा यात्रा सीजन को सुचारु रूप से संचालित करने में भी आसानी होगी। यदि किसी वाहन को जाजल से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 से होते हुये शिवपुरी तक जाना है तो उक्त परिस्थिति में वाहन को 42.00 कि०मी० राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-94 एवं 15.00 कि०मी० राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 पर दूरी तय करनी होगी। इस प्रकार कुल 57.00 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ेगी, जबकि इस मार्ग के निर्माण के उपरान्त कुल मात्र 23.00 कि०मी० दूरी तय करने के उपरान्त वाहन शिवपुरी में

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 तक पहुंचेगा। इस प्रकार वाहन को कुल 34.00 कि०मी० कम दूरी तय करनी होगी। पहाड़ी मार्ग की दृष्टि से 34.00 कि०मी० की दूरी एक अत्यधिक दूरी होती है, 34.00 कि०मी० की दूरी को तय करने में लगने वाले समय के साथ-साथ ईंधन एवं पर्यावरण की भी हानि होती है। 34.00 कि०मी० दूरी तय करने में व्यय होने वाले ईंधन का विवरण संलग्न (संलग्नक-02) कर प्रेषित है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि प्रस्तावित मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 से प्रारम्भ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 को जोड़ता है किन्तु प्रस्तावित मार्ग के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 से हवाई दूरी लगभग 5.37 कि०मी० है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति करने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 93 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।